

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24.10.07

सं०सि०-2/टी-27/07 1231(2) / स्वा० सन्तर्ग विभाजन के पश्चात प्रारम्भ से विरमित होकर आये चिकित्सा पदाधिकारियों, श्रम विभाग द्वारा लौटाये गये सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अध्ययनोपरान्त प्रतिज्ञात (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में उनकी सेवाएँ सौंपी जाती हैं :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वृहत् जिला	पदस्थापित जिला	प्रतिनियुक्ति स्थान/ संस्थान
1	2	3	4	5
1	डा० अरुण प्रसाद,	गया	मुंगेर	इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच० पटना
2	डा० मनोज कुमार	पटना	गया	—
3	डा० राजनारायण दास,	वैशाली	पटना	इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच० पटना
4	डा० सी० जीमल अष्टर	नालन्दा	जमुई	इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच० पटना
5	डा० रेवुका	पटना	वैशाली	राजेन्द्र नगर अस्पताल (आई० सेंटर) पटना
6	डा० मनोहर लाल गुप्ता	पटना	मधुबनी	—
7	डा० मीता पटेल	बौंका	मुजफ्फरपुर	पी०एम०सी०एच० पटना
8	डा० अमृता प्रसाद	हजारीबाग	वैशाली	पी०एम०सी०एच० पटना
9	डा० आशा सिंह	भागलपुर	समस्तीपुर	पी०एम०सी०एच० पटना
10	डा० कृष्णानन्द सिंह	पूर्णिया	मधेपुरा	इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच० पटना
11	डा० सुरेन्द्र कुमार	नालन्दा	गया	पी०एम०सी०एच० पटना
12	डा०(श्रीमती) सुनीति सिन्हा	शिवहर	मुजफ्फरपुर	पी०एम०सी०एच० पटना
13	डा०(श्रीमती) सुजाता प्रसाद	पटना	समस्तीपुर	—

14	डा० आलोक कुमार	भागलपुर	मुंगेर	इन्दिरा गौरी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच० पटना
15	डा० राजेश कुमार	पटना	मुजफ्फरपुर	-
16	डा० नवल किशोर सिंह	पू० चम्पारण	रोहतास	-

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवाओं जिलों को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिल्ला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

3. अधिसूचना की तिथि से प्रतीभारत चिकित्सा पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. सभी प्रतीभारत चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के समक्ष तुरत योगदान देंगे।

5. निम्नान्व/ न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

6. संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया जाता है कि उनके जिल्ला में पदस्थापित उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के तुरत बाद संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य के समक्ष योगदान देने हेतु विरमित कर देंगे। यह प्रतिनिधुक्ति छः माह के लिए होगी।

7. प्रतिनिधुक्ति अवधि में इनका वेतन भत्ता इत्यादि का भुगतान मूल पदस्थापन के स्थान से अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

8. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 24-10-09

छापाक - 2/टी-27/07 - 1231(2)

प्रतिलिपि - महल्लाकर बिहार, वीरबन्धु पटेल पथ, पटना/ जिल्ला (कौदा/कि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, मुजफ्फरपुर, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं पौखो विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिल्ला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/ निदेशक, इन्दिरा गौरी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच०, पटना/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित प्राचार्य/ अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अम विभाग, बिहार, पटना/ कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य के आरा सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,9 एवं 17/ कम्प्यूटर कोषाग को सूचनाार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव